उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
संख्या-20/2016/1228/92-1-2016-62(अधि0)/2016
लखनऊ: दिनांक: 25 अप्रैल, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री रियाज अली, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-अलीगढ़, जिनके द्वारा अपने उक्त मूल पद के साथ-साथ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर का अतिरिक्त रूप से कार्यभार निर्वहन किया जा रहा था, को जनहित/शासकीय कार्यहित परिमण्डल-कानपुर में तैनात अधिशासी अभियंताओं में सबसे वरिष्ठ अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-औरैया श्री एम0एम0 हुसैन को अपने मूल पद (अधिशासी अभियंता) के कार्यों एवं दायित्वों के साथ-साथ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर का अतिरिक्त रूप से निर्वहन किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है। उक्त के फलस्वरूप परिमण्डल-अलीगढ़ में तैनात अधिशासी अभियंताओं में सबसे वरिष्ठ अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-अलीगढ़, श्री रियाज अली को अपने मूल पद (अधिशासी अभियंता) के कार्यों एवं दायित्वों के साथ-साथ नितांत काम चलाऊ एवं अस्थायी प्रबन्धन व्यवस्था के अन्तर्गत शासन के अग्रिम आदेशों अथवा उक्त परिमण्डल में नियमित अधीक्षण अभियंता की तैनाती होने, जो भी पहले हो, तक के लिये अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-अलीगढ़ के पद एवं दायित्वों का अतिरिक्त रूप से निर्वहन करने हेतु एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है।

2- अधीक्षण अभियंता के उपर्युक्त अतिरिक्त कार्य एवं दायित्वों को निर्वहन करने के लिये श्री रियाज अली को किसी प्रकार का अतिरिक्त वेतन भत्ता आदि अनुमन्य नहीं होगा।

3- अधीक्षण अभियंता के पद के कार्यों एवं दायित्वों के निर्वहन करने की उक्त व्यवस्था नितांत काम चलाऊ एवं अस्थायी प्रबन्ध के अन्तर्गत है, जो शासन द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(अजय कुमार सिंह)
सचिव।

संख्या-20/2016/1228(1)/92-1-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- मुख्य अभियंता (पूर्व/पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
5- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- सम्बन्धित अधिशासी अभियंता द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम रतन)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in